न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—12/2022 दायर दिनांक:—09.03.2022

जीसीएमएस नं. 2022/85

वीरसिंह पुत्र पन्ना लाल आयु 46 साल, जाति जाट निवासी रेवई, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान।

—————प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन, जिला करौली राज0

—————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — 1 .श्री शांतिलाल करसौलिया अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 232 तथा पुराना खाता संख्या 198 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 901 रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें वादी का नाम पप्पु पुत्र पन्ना लाल हिस्सा 1/3 दर्ज है। जो कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पप्पू गलत दर्ज हो गया है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम वीर सिंह पुत्र पन्ना लाल है।

वादी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम वीर सिंह पुत्र पन्ना लाल दर्ज है। इस बाबत सरपंच ग्राम पंचायत रेवई द्वारा लिखा गया है। कि मै वीरसिंह उर्फ पप्पु पुत्र पन्ना लाल जाति जाट नि0 रेवई पो0 घोषला का रहने वाला है जिसे मैं भली भांति जानता हूँ वीरसिंह उर्फ पप्पु दोनो ही एक ही व्यक्ति के नाम है।

वादी दि0 15.02.2022 को पटवारी हल्का के पास [illegible] की फाईल बनवाने हेतु पटवारी के पास गया तो वादी को जानकारी [illegible] वादी का राजस्व गलती से राजस्व रिकॉर्ड में वीर सिंह के स्थान पर पप्पू [illegible] है, जो गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:59:14 IST
Reason: SelfAttested

इसके बाद वादी तहसीलदार हिण्डोन के यहा दिनांक 25.02.2022 को तहसीलदार हिण्डौन के यहा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के लिये कहा तो तहसीलदारजी ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा है।

विनाय दावा वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी दि0 25.02.2022 वादी द्वारा तहसीलदार जी से इन्द्राज दुरस्ती को कहने से तथा तहसीलदार जी द्वारा सक्षम अदालत से आदेश लाने के बाद ही इन्द्राज दुरूस्ती करने की कहने से वमुकाम हिण्डौन उत्पन्न हुयी है। तथा दावा हाजा दर अवधि पेश है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर आराजीयात मुतजिक्रा मद नंबर 1 वाद पत्र खाता संख्या नया 232 व पुराना 198 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का गलत नाम पप्पू पुत्र पन्ना लाल के स्थान पर वीरसिंह पुत्र पन्ना लाल के स्थान पर वीर सिंह पुत्र पन्नालाल दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा जबाब न्यायालय हाजा में दिनांक 18.5.2022 को पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार है:-

1.यह है कि मद नं01इस हद तक स्वीकार है कि ख0 न0 901 रकवा 1.03 है0 वाके ग्राम रेवई राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2069-72 के खाता सं0 232 पर वादी का नाम पप्पू पुत्र पन्नालाल हि0 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। शेष तथ्य स्वीकार नही है।
2.यह है कि मद नं02,3 अस्वीकार है।
3.यह है कि मद नं0 4,5,6,7,8(अ),(ब) कानूनी है।
विविधः- यह है कि वादी द्वारा मा0 न्यायालय हाजा में दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि खं0न0 901 रकवा 1.03 है0 वादी का नाम पप्पू पुत्र पन्नालाल हिस्सा 1/3 दर्ज है। भू प्रबंध खतौनी वाद अवलोकन ग्राम रेवई खाता सं0 119 पर वादी का नाम पप्पू पुत्र पन्नालाल दर्ज है। वादी द्वारा दावा पत्रावली में स्वंय के वीरसिंह होने बावत दस्तावेज संलग्न किये है, परन्तु शैक्षणिक दस्तावेज संलग्न पत्रावली नही है। ग्राम में मौके पर तैयार किये गये फर्द मौका अनुसार ग्रामवासियों ने बतलाया कि दोनो नाम पप्पू , वीरसिंह एक ही व्यक्ति है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2069-72 खाता संख्या 232 के खसरा नम्बर 901 रकबा 1.03 है0, वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत रेवई का प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। एवं पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में पप्पू , वीरसिंह को एक ही व्यक्ति होना बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:59:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2069-72 खाता संख्या 232 के

खसरा नम्बर 901 रकबा 1.03 है0, वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी हिस्सा 1/3 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। एवं प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत रेवई का प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार हिण्डौन की अभिशंषा एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 232 के खसरा नम्बर 901 रकबा 1.03 है0, वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन में पप्पू के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वीरसिंह पुत्र पन्नालाल जिसे प्रार्थी के हक में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 232 के खसरा नम्बर 901 रकबा 1.03 है0, वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन में प्रार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में बीरसिंह पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी रेवई किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

30/7/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:59:14 IST
Reason: SelfAttested